न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -117/2023

अनवान

श्रीमती कमला बाई पत्नी कजोड़लाल धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

\- प्रार्थीया

बनाम

1. देवीलाल पिता श्री पृथ्वीराज धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. दिनेश कुमार पिता श्री राधेश्याम जी, जाति धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. धन्नालाल पुत्र चुन्नीलाल धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी लाड़पुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. बंशीलाल पुत्र पृथ्वीराज धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. कन्हैयालाल पिता चतर्भुज धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. रूपलाल पिता चतर्भुज धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
7. हरलाल पिता चतर्भुज धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
8. गिरिराज पिता नन्दलाल धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, हाल मुकाम तेजाजी चौक के पीछ जिला चित्तौड़गढ़।
9. जगदीश चन्द्र पुत्र भवाना धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
10. संजय पुत्र नन्दलाल धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान
11. जरिये श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक प्रार्थी
श्री बलवीर सिंह अप्राथी संख्या 01 ,02,04
अप्रार्थी संख्या 03 व 05 से 10 एकतरफा

निर्णय दिनांक 07.01.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.02.28 15:14:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के कब्जे स्वामित्व एवं खातेदारी की कृषि आराजियात ग्राम मौजा खातीखेड़ा, प0 [illegible] भू.अ.नि. एकलिंगपुरा की खाता संख्या 22 खसरा संख्या 134, रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि [illegible] जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है, उक्त भूमि पर आने-जाने के लिए रास्ता ग्राम खातीखेड़ा की आराजी संख्या 02 से होकर आराजी संख्या 128, 129, 132 की मेढ़ पर होता हुआ आराजी संख्या 134 पर आता है, जिस पर कदीमी समय पुराना रास्ता बना हुआ था, जिसे अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 10 ने बंदकर दिया है जिससे प्रार्थीया अपने खाते की कृषि आराजियात पर आ जा नही पा रही है तथा कृषि भूमियां पड़त पड़ी हुई है, उक्त रास्ता कदीमी समय से बना हुआ है तथा उसका उपयोग उपभोग प्रार्थीया करता

उपखण्ड अधि... रावतभाटा

चली आ रही है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 10 ने ग्राम खातीखेड़ा की आराजी संख्या 134 पर आने-जाने के कदीमी रास्ते को बंद कर दिया है तथा राजस्व रास्ता तरमीम नहीं है इसलिए यह प्रार्थना-पत्र रास्ता कायम कराने हेतु न्यायालय श्रीमान् में पेश करना आवश्यक हुआ है। घटना दिनांक 18.07.2023 की है, मैं प्रार्थीया अपने खाते की कृषि भूमियों की हकाई-जुताई करने गई तो वहां जाकर देखा कि अप्रार्थी संख्या 1 से 10 द्वारा कदीमी समय पुराने रास्ते की हकाई कर कच्चे पत्थरों की दीवार बनाकर रास्ते को बंद कर दिया है जिससे मैं प्रार्थीया अपने खेत पर नहीं जा पाई तथा इससे पूर्व भी मुझ प्रार्थीया का खेत 2-3 वर्ष से पड़त पड़ा हुआ है, अप्रार्थी संख्या 1 से 10 द्वारा जबरन दादागिरी के बल पर रास्ते को बंद कर दिया है, जिससे मुझ प्रार्थीया को काफी असुविधा हो रही है तथा मेरे बाल बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ गई है, इसलिए यह प्रार्थना-पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अंत में प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की ग्राम खातीखेड़ा की कृषि आराजीयात आराजी संख्या 134 पर आने जाने के लिए ग्राम खातीखेड़ा की आराजी संख्या आराजी संख्या 2 से होकर आराजी संख्या 128, 129, 132 की मेढ़ पर होता हुआ आराजी संख्या 134 पर आता है जिस पर कदीमी समय पुराना रास्ता बना हुआ था जिसे अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 10 ने बंदकर दिया है जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान कर नक्शे में तरमीम किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण संख्या 01, 2, 4 की ओर से अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 3, 5,6,7,8,9,10 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए।

प्रकरण रास्ता कायमी का होने से अप्रार्थी सख्या 11 तहसीलदार रावतभाटा से मौका एवं स्थिति की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रावतभाटा ने प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम खातीखेडा प0ह0 खातीखेडा के आराजी संख्या 134 रकबा 1.08है0 भूमि प्रार्थीया कमला बाई पत्नि कजोडलाल धाकड निवासी खातीखेडा के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर खसरा संख्या 134 के खातेदार खसरा संख्या 135 के खातेदार काबिज है तथा खसरा संख्या 135 पर खसरा संख्या 134 के खातेदार कमला बाई काबिज होना जाहिर आया है। मुताबिक रिकार्ड खसरा संख्या 134 पर आने-जाने हेतु राजस्व नक्शें में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। आराजी संख्या 134 पर आने-जाने के लिए मुख्य सडक खसरा संख्या 68 से नजरी नक्शानुसार आराजी संख्या 2 की दक्षिणी मेड से होकर, आराजी संख्या 129 की दक्षिणी मेर से होकर तथा आराजी संख्या 132 की दक्षिणी मेर व तत्पश्चात आराजी संख्या 32 की दक्षिणी पूर्वी मेर से होकर आराजी संख्या 134 में रास्ता प्रस्तावित है। मौके पर उपस्थित मौतविरान के समक्ष जानकारी करने पर जाहिर आया की प्रार्थीया विगत कई वर्षों से इसी प्रस्तावित रास्ते से होकर आते जाते रहे है। आराजी संख्या 134 पर आने जाने हेतु निकटतम दूरी का रास्ता यही है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई व चौडाई इस प्रकार है खसरा संख्या 2 दक्षिणी मेर में लम्बाई 20 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल रकबा 80 वर्गमीटर, आराजी संख्या 129 की दक्षिणी मेर में लम्बाई 136 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल रकबा 544 वर्गमीटर, आराजी संख्या 132 की दक्षिणी मेर मे लम्बाई 98 व चौडाई 4 मीटर कुल रकबा 392 वर्गमीटर, आराजी संख्या 132 दक्षिणी पूर्वी मेर में लम्बाई 22 व चौडाई 4 मीटर कुल रकबा 88 वर्गमीटर तथा समस्त आराजी का कुल रकबा 1104 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु उपयोग में आएगी। उक्त प्रस्तावित रास्ते में उपयोग में आने वाली भूमि की प्रचलन डीएलसी दर 6,24,761 रू प्रति है0 अथवा 62.47 रू प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 1104 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी दर के हिसाब से 1104X62.47 =68967 रू बनती है, जिसका ... जमा कराना होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.02.28 15:14:51 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभय पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है तथा आराजी संख्या 134 कृषि भूमि पर कदीमी समय से आने जाने के लिए आराजी संख्या 2, 128, 129, 132 से होते हुए रास्ता बना हुआ है जो रिकार्डेड नहीं है,उक्त रास्ता मुल रास्ते आराजी संख्या 68 से होकर एक आम रास्ता विपक्षीगण के खसरा संख्या 2, 128, 129, 132 भूमि से रास्ता होता हुआ प्रार्थीगण की भूमि तक आता है, लेकिन उक्त रास्ता आस पड़ौस वाले विपक्षीगण,

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

संख्या 01 से 10 ने तारबंदी कर बंद कर दिया है, जिसके कारण प्रार्थीया अपने खातेदारी काश्त की आराजी पर आ जा नहीं पा रहे हैं, उक्त आराजी पर आने जाने का एक मात्र रास्ता यही है, तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम नहीं है, उक्त रास्ता जो आराजी संख्या 2, 129, 132 के दक्षिणी मेर व 132 के दक्षिण पूर्वी मेर के सहारे सहारे आराजी संख्या 134 प्रार्थीया के खाते की कृषि में आता है, प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 01 से 10 की खातेदारी की उक्त भूमि में से दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी मेड पर से नियमानुसार रास्ता चाहता है। इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार को देने को तैयार है। तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट दिनांक 06.11.2024 के अनुसार उक्त प्रकरण में नक्शें अनुसार प्रार्थीया विपक्षीगण की आराजी संख्या 2, 129, 132 के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी दिशा से रास्ता चाहता है, इस रास्ते में आराजी संख्या 2, 129, 132 (1104 वर्गमीटर) भूमि काम आयेगी। प्रार्थीया को ग्राम खातीखेडा की आराजी संख्या 2, 129, 134 के दक्षिणी व 134 के दक्षिणी पूर्वी मेड के सहारे सहारे पर से रकबा 1104 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 624761/ रू. प्रति है0 से 1104X62.47=68967 रूपये की दुगुनी राशि कीमत 1,37,934/- रू बनती है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तावित रास्ते मे से आराजी संख्या 2, 129, 134 मे से ही रास्ता दिया जाना उचित प्रतित होता है, अतः प्रार्थीया के पास उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा सुखाधिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जिससे उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

-:आदेश:-

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम खातीखेडा पटवार हल्का खातीखेडा की आराजी संख्या 134 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 से 10 की आराजी संख्या 2, 129, 132 दक्षिणी मेड से व दक्षिण-पूर्वी मेर के सहारे-सहारे कुल 1104 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 1104 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 624761/रू. अनुसार कीमत 68967 रू की दुगुनी दर से राशि 1,37,934/रू. (अक्षरे रूपय एक लाख सैंतीस हजार नौ सौ चौंतिस रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार हिस्से अनुसार किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थीया को आदेश दिया जाता है कि विपक्षी संख्या 01 से 10 की रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि 1104 वर्गमीटर (राशि 1,37,934 रू) का भुगतान विपक्षी संख्या 1 से 10 को किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.02.28 15:14:51 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया) आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
जिला-चित्तौडगढ़